विचार बिन्दु

देश को आजादी दिलाने वालों की आत्मा क्या कहेगी? -अज्ञात

विवाद है क्या विधायक पेंशन के अधिकारी हैं और चर्चा है, राज्य सरकार पूर्व विधायकों के पुत्र व पुत्री को पेंशन देना चाहती है।

देशभर में यह विवाद उठाया जा रहा है कि क्या सांसद व विधायक पेंशन के अधिकारी हैं? जबसे Freebies के बाबत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस चल रही है, राजस्थान राज्य की सरकार पूर्व विधायकों के पुत्र पुत्री को पेंशन दिये जाने का मानस बना रही है, क्योंकि दिल्ली, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ व अन्य की सरकारें पूर्व विधायकों के पुत्र व पुत्री को उनकी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दे रही है। इसका अर्थ है पूर्व विधायक व उसकी पत्नी की मौत होने पर उनके 25 वर्ष तक के आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को पेंशन दी जानी चाहिये। अब तक जानकारी के अनुसार पुत्र व पुत्री को पेंशन लोकसभा, राज्य सभा तथा दिल्ली, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा व नागालैण्ड में इस प्रकार की पेंशन दी जा रही है। कुछ राज्यों में तो पुत्र व पुत्री के न होने पर माता व पिता को पेंशन दी जा रही है। पेंशन की यह व्यवस्था इस प्रकार है कि 5 वर्ष तक सदस्य रहने वाला सदस्य 35000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहा है। 70 वर्ष आयु होने पर पेंशन 20 प्रतिशत व 80 वर्ष होने पर 30 प्रतिशत वृद्धि का अधिकारी है। पेंशन के अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधायें भी प्राप्त हैं जैसे 200 पास रेल, विमान से यात्रा के लिये एक लाख रूपये तक की सीमा तक किराया। वे सरकारी गेस्ट हाउस की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के वे अधिकारी हैं।

एक बार विधायक के बाद वह दुबारा भी चुनाव लड़कर विधायक हो सकता है तथा विधायक बनने से पूर्व जो कार्य पहले करता था वह पूर्ववत कर सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रत्येक टर्म की पेंशन वह प्राप्त करने का अधिकारी है। ये विधायक स्वयं अपनी पेंशन निर्धारित करते हैं और कानून बनाते हैं।

यहां लेने वाला व देने वाला एक ही है और कहावत भी है अंधा बांटे रेवडी, अपने को ही देय। Freebies द्वारा सरकारी सरकारी खजाने की लूट का यह मामला है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन किया और धारा 7 बीबी व 11(2) जोडकर पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास व 10 व्यक्तियों का स्टाफ मय ड्राईवर देने की सुविधा प्रदान की उक्त संशोधन अधिनियम 2017 की वैधानिकता को राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मिलापचंद डंडिया ने एक पीआईएल में चुनौती दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिनियम 2017 की दोनों धाराओं यानी 7 बीबी व 11(2) को दिनांक 4.9.2019 के आदेश से असंवैधानिक घोषित किया। इसे स्टेट द्वारा एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौदी दी; किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे Admission स्टेज पर ही दिनांक 6.1.2020 के आदेश से खारिज कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का सार था कि सरकारी सम्पत्ति को मनमाने तरीके से लुटाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

संविधान के अनुसार कोई भी कानून संविधान के किसी अनुच्छेद में दी गई शक्ति के आधार पर और संविधान की अनुसूची केन्द्र अथवा राज्य अथवा समवर्ती सूची 3 के अनुसार ही बनाया जाता है। संघ सूची 1 की एन्ट्री 73 में केन्द्र को सांसदों के वेतन व भत्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची 2 की एन्ट्री 38 के अनुसार विधायकों के वेतन व भत्तों के हेतु कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 106 संसद को तथा अनुच्छेद 195 विधानसभा को वेतन व भत्तों के हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। इन दोनों प्रावधानों में केवल वेतन व भत्ते का प्रावधान है किन्तु पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र व राज्य के कानून में संशोधन कर पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया। राज्य को मंत्रियों के वेतन व भत्ते का अधिनियम 1956 है इसके पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन का प्रावधान एक्ट नं. 17/2015 व संशोधन एक्ट 26/2017 से धारा 4क के रूप में जोडा गया। वर्तमान में राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 व राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के अनुसार पेंशन दी जाती है। वस्तुत: उक्त पेंशन अधिनियम 1956 का सही शीर्षक है राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) संशोधन अधिनियम 1956 है। इसके अनुसार 1 अप्रेल 2019 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा सदस्य के रूप में निरन्तर अन्यथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिय रहा हो उसे पैंतीस हजार रूपये (रू. 35000/-) की पेंशन मिलेगी। पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरन्तर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष व उसके भाग के लिये 1600/- रूपये की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि सांसदों को दी जाने वाली पेंशन की स्थिति और राजस्थान के विधायकों को दी जाने वाली पेंशन में काफी अन्तर है। राजस्थान के कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 लागू होते हैं। विधायक सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

पेंशन का सिद्धान्त है कि सर्विस का पीरियड समाप्त होने पर ऐसी व्यवस्था हो कि रिटायरमेंट के बाद उसे एक ऐसी राशि मिल सके जिससे वह गरिमा के साथ जीवन जी सके। पेंशन सोशल सिक्यूरिटी है। सांसद व विधायक सरकारी नौकर नहीं हैं। विधायकों को पेंशन मिले यह कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। विधायक पुन: चुनाव लड़ सकता है, फिर पेंशन का क्या प्रश्न? सरकारी नौकर तो सर्विस लॉ के अनुसार Status का प्रश्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.9.2019, मिलापचंद डंडिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के केस में स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को पेंशन दिया जाना वैधानिक नहीं है। संविधान प्रत्येक नौकरी पेशा व्यक्ति को पेंशन देने की बात नहीं करता। वेतन व अलाउन्स दोनों अलग-2 शब्द हैं, अलग अर्थ रखते हैं, इनका पेंशन से कोई मतलब नहीं है। यदि विधायकों को पेंशन दी जाती है तो फिर पंचायत के पंच, सरपंचों, नगरपालिका के पार्षदों को पेंशन क्यों नहीं?

वस्तुस्थिति यह है कि जब राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के तहत् पेंशन दिया जाना ही असंवैधानिक है तो फिर उक्त नई सुविधायें देना भी सर्वथा अवैध व असंवैधानिक है।

विधायकों को प्रत्येक पांच साल के टर्म की समाप्ति पर यदि वह उस पोस्ट पर पुन: चुनाव लडता है और जीतता है तो वह प्रत्येक टर्म की पेंशन प्राप्त करता है। यों भी टर्म एम्प्लायमेंट में पेंशन क्यों? स्थायी कर्मचारी ही पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है।

मिलापचंद डंडिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी थी; किन्तु पेंशन के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी थी तथा चुनौती देने के अधिकार को सुरक्षित रखा था। अब पेंशन की वैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया है। यहां यह भी उचित व समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियमन ऑफ इण्डिया 2002 (1) एससीसी 88 में संसद सदस्यों को पेंशन का अधिकार माना है। यह निर्णय वास्तव में निर्णय की परिभाषा में नहीं आता; क्योंकि पेंशन क्यों दी जावे इस पर कोई चर्चा नहीं है, बहस नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल एटोर्नी जनरल के कथन पर कि, "उन्हें पेंशन दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है" पेंशन देना माना है। यह मामला एम्प्लॉयर एम्प्लोई का नहीं है। जैसा ऊपर कहा है कि सांसदों व विधायकों को पेंशन देने के बाबत संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की लिस्ट में केवल वेतन व एलाउन्स पर कानून बनाने का अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि विधायकों को पेंशन देना तथा प्रत्येक टर्म की पेंशन देना निम्नलिखित कारणों से अवैध, अनाधिकृत, अमान्य व संविधान के विरूद्ध है:-

1) पेंशन जिसे विधायकों को देना कहा जाता है उसके संबंध में राज्य की अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है और न यह अनुच्छेद 195 से ही शक्ति ग्रहण करता है।

2) पेंशन का अर्थ है रिटायर्मेन्ट के बाद खर्चे की व्यवस्था के हेतु Social Security के लिये एम्प्लॉयर द्वारा प्रतिमाह रकम खर्चो के हेतु अदा करना। विधायकों के हेतु ये निर्विवाद है कि वे सरकारी नौकर नहीं है अपितु उनका पद संवैधानिक है। विधायक का चुनाव होता है और वह भी नियत समय के लिये, यह नौकारी नहीं है। विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं।

3) पेंशन न तो वेतन है और न अलाउन्स। पेंशन नियम, 1977 के रूल 6 के अनुसार मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन बंद होगी, ऐसा प्रावधान है।

4) पेंशन का कानून विधायकों ने ही अपने लिये बनाया है और इस प्रकार न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यहां कानून बनाने वाला और उसका लाभार्थी एक ही है।

5) संविधान के अनुच्छेद 195 में विधायकों के वेतन व भत्ते के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और संसद को सांसदों के हेतु यह अधिकार अनुच्छेद 106 में है; किन्तु पेंशन के लिये कोई प्रावधान नहीं है, अत: पेंशन जो विधायकों को दी जा रही है वह असंवैधानिक है। विधायकों को दी जाने वाली पेंशन की साधारण परिभाषा में नहीं आती। पेंशन के पेमेन्ट के लिये कोई मापदण्ड नहीं है, यह Arbitrary पेमेन्ट है, स्वयं विधायकों द्वारा उनकी मर्जी से इसे बढ़ाया जाता है जो विवेकहीन क्रिया है।

फ्रीबीज में सरकारी सम्पत्ति को लुटाया जा रहा है और पेंशन की व्यवस्था में भी राज का खजाना लुटाया जाता है। विधायकों को प्रत्येक टर्म की अलग-2 पेंशन दी जाती है। यहां निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रमाण दिया जा रहा है कि किस प्रकार पेंशन के नाम पर राज्य का कैसे खजाना लुटाया जा रहा है:-

1) पूर्व विधायकों को पेंशन पर खर्च होने वाली रकम 25 करोड़ 95 लाख 47 हजार 400 रूपये प्रतिमास है। प्रत्येक वर्ष यह रकम बढ़ती रहती है।

2) कुल 508 पूर्व विधायकों को जो न्यूनतम पेंशन रू. 35000/- दी जाती है वह प्रतिमास रू. 177800000/- है।

3) 8 पूर्व विधायकों 1 लाख रूपये प्रतिमाह से अधिक प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

4) 104 पूर्व विधायकों की पेंशन 50000/-रूपये प्रतिमाह से अधिक है।

5) उपरोक्त विवरण सूचना का अधिकार 2005 के तहत् राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलापचंद डंडिया को दिनांक 4 जुलाई 2022 के पत्र से भेजी गई सूचना के आधार पर है, किन्तु उसमें कुछ नाम छोड दिये हैं। वे नाम हैं श्री अशोक गहलोत, नरपतसिंह राजवी, माननीया वसुन्धरा राजे, श्री गुलाबचंद कटारिया व श्री राजेन्द्र सिंह।

6) एक से अधिक बार (टर्म) रहे पूर्व विधायकों की सूची एवं उनके सदस्यता अवधि इस प्रकार है:-

सदस्य का नाम	पेंशन	सदस्यता वर्षों में	: वर्धित पेंशन
श्री जगत सिंह	Rs.43000 + Rs. 12900 = Rs. 55900/-	10	30 प्रतिशत
श्री जसराज जयपाल	Rs.35000 + Rs. 10500 = Rs. 45500/-	5	30 प्रतिशत
डा. राजकुमार जयपाल	Rs.35000	5	-
श्री राम नारायण	Rs.35000 + Rs. 7000 = Rs. 42000/-	5	20 प्रतिशत
श्री विशन सोनगरा	Rs.43000 + Rs. 86000 = Rs. 51600/-	10	20 प्रतिशत
श्री हरीश झामनानी	Rs.35000 + Rs. 7000 = Rs. 42000/-	5	20 प्रतिशत

7) राजस्थान पेंशन अधिनियम 1956 में पेंशन के अतिरिक्त विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कौटुम्बिक पेंशन व वर्धित पेंशन तथा कई सुविधायें ऐसी हैं जिन्हें वेतन मानकर पेंशन दी जा रही है, जैसे आश्रित बच्चों पर चिकित्सीय उपचार का खर्चा तथा नि:शुल्क अन्तर्राष्ट्रीय पास आदि।

इन सुविधाओं के तथा पेंशन देने के अतिरिक्त अब पूर्व विधयकों और उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके 25 वर्ष के आश्रित पुत्र व पुत्री को पेंशन प्राप्त होगी। यदि पूर्व विधायक के कोई पुत्र या पुत्री नहीं है तो माता पिता को पेंशन दी जावेगी। वस्तुस्थिति यह है कि जब राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के तहत् पेंशन दिया जाना ही असंवैधानिक है तो फिर उक्त नई सुविधायें देना भी सर्वथा अवैध व असंवैधानिक है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

देश व्यक्ति नहीं संस्थाओं से रहते हैं

डॉ रामावतार शर्मा

सत्ता चाहे राजशाही से मिले या जनतांत्रिक तरीके से, दोनों ही परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति बडे समर्थन के साथ शिखर पर पहुंच जाता है तो शायद वह एक अलग मन:स्थिति में पहुंच जाता है। उसका एक मात्र उद्देश्य अपने आप को सत्ता के केंद्र में रखना होता है। जो भी प्रारंभिक उद्देश्य रहे होंगे जैसे कि देश समाज का विकास, बेहतर प्रशासन, जन हितार्थ कार्यप्रणाली आदि सब उसकी प्राथमिकताओं से दूर होते जाते हैं क्योंकि उस शिखर से उसके अपने ही लोग उसे धकेलने को तत्पर दिखते हैं। एक अदृश्य भय शायद कहीं न कहीं मन में हर समय उभरता रहता है। इस तरह के निष्कर्ष इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति के सत्ता में आने के पहले और बाद के विचारों में बहुत बडे विरोधाभास नजर आने लगते हैं। अपने इसी आंतरिक भय को नेपथ्य में धकेलने के लिए सत्ताधारी प्रधान अपने परिधान, बोल चाल, जीवनशैली आदि में अजेय होने का अहसास बना कर रखने में प्रयत्नशील नजर आता है। इस तरह की चारित्रिक बातें, कुछ अपवादों को छोड कर, पूरे विश्व में नजर आती हैं। एक समय के बाद शासक अपने ही दल के प्रतिभावान साथियों को बाहर का रास्ता दिखाने लगता है। उसके ये सब कदम उसकी असुरक्षा की भावना को इंगित करते हैं।

भारत के इतिहास देखा जाय तो सिख इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह इस बात के एक बडे उदाहरण बन कर सामने आते हैं क्योंकि वे अकेले ही सिखों में सम्राट रहे। वे नेपोलियन बोनापार्ट के समकक्ष माने जाते थे और आगे चलकर महज एक पीढ़ी में ही यह अति शक्तिशाली सिख साम्राज्य समाप्त हो गया। रणजीत सिंह की मृत्यु 20 जून 1839 को हुई। कोई एक साल बाद उनके बडे पुत्र खडक सिंह की संदेहास्पद हालत में मौत हुई क्योंकि उन्हें उन्ही के बेटे नौनिहाल सिंह ने एक तरह से बंदी बना रखा था। जब खडक सिंह की चिता धधक रही थी तो श्मशान घाट का एक ढांचा गिरने से नौनिहाल सिंह और एक डोगरा राजकुमार की मृत्यु हो गई, पिता और पुत्र की मृत्यु एक ही दिन हुई। यहां इतिहासकार राजा ध्यान सिंह डोगरा की भूमिका को बहुत संदिग्ध मानते हैं। इस त्रासदी के बाद महाराजा बने शेर सिंह और उसके पुत्र को संधावालिया सरदारों ने मार डाला। संधावालिया सरदारों पर हमले में डोगरा राजा मारे गए। डोगरा राजकुमार हीरा सिंह ने संधावालियो को मार डाला तो सिख सेनाओं ने हीरा सिंह को मार डाला। अब रणजीत सिंह का एक-मात्र पुत्र दिलीप सिंह बचा था जिसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर लगभग हार के कगार से निकल कर पंजाब सामाज्य पर अधिकार जमा लिया। चंद साल बाद दिलीप सिंह पेरिस के एक बहुत ही निम्नस्तरीय होटल में भुखमरी की हालत में मृत पाए गए। महाराजा रणजीत सिंह का पूरा परिवार दस पंद्रह वर्ष में समाप्त हो गया।

एक स्वाभाविक-सा सवाल उठता है कि ऐसे कौनसे कारण थे कि यह अविजित-सा लगने वाला साम्राज्य एक व्यक्ति के मरते ही समाप्त हो गया? दूसरी तरफ जब हम इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन तथा बहुत पहले के रोमन साम्राज्य देखें तो महाराजा रणजीत सिंह और इन साम्राज्यों में एक बडा फर्क नजर आता है। रणजीत सिंह पर किसी भी संस्था का अंकुश नहीं था, उनका हर निर्णय अंतिम आदेश होता था। उनका कोई भी विरोध राजद्रोह की श्रेणी में आता था। दूसरी तरफ यूरोपीय साम्राज्यों में सम्राटों और राजाओं के समय भी प्रभावशाली संसद हुआ करती थी जो आवश्यकता पडने पर राजा के निर्णयों को पलट दिया करती थी। रोमन साम्राज्य तभी तक टिक सका जब तक उसकी संसद मजबूत थी। 1970-80 के समय में ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया और लेबनान बहुत धनी देश हुआ करते थे। फिर वहां निरंकुश शासकों का दौर आया, भयानक तबाही के बाद आज ये सारे देश कहां खडे हैं यह सर्वविदित है। किसी भी राष्ट्र के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए उसकी संस्थाओं का शक्तिशाली और स्वतंत्र होना अत्यावश्यक है। संसद, न्यायपालिका, पत्रकारिता, विभिन्न जांच एजेंसियां आदि के स्वतंत्र हुए बिना कोई भी राष्ट्र अपने स्थायित्व को बना कर नहीं रख सकता है। सोवियत संघ को प्रबल शासकीय बर्बरता के बावजूद हमने बिखरते देखा है। चीन अंदर ही अंदर सुलग रहा है और रूस पूरी दुनिया से अलग-थलग पड गया है। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन काल सीमित होता है पर संस्थाओं को अनंत काल तक जीवित रखा जा सकता है। जनता को समझना होगा कि एक नागरिक जिसे चाहे उस राजनीतिक दल को समर्थन दे पर जनतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण का पुरजोर विरोध करे। क्या आपको लगता है कि हमारे यहां ऐसा हो रहा है? अगर हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है, तो होना चाहिए!

डॉ. रामावतार शर्मा,
चिकित्सक एवं लेखक

कोटपूतली में नगर परिषद् द्वारा सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के दौरान पैरालाइज लक्ष्मण प्रसाद सैनी पुत्र साधुराम सैनी जो 18 साल से चारपाई पर जिन्दगी की सांसे गिन रहा है को सरकार ने एक आदेश जारी कर घोर विपदा में डाल दिया है। बिना मुआवजा दिये उनका आशियाना छीन लिया। जिससे उनके परिवार पर संकट आ गया है। सरदार स्कूल के पास के व्यापारी संदीप सोनी, जगदीश सैनी, प्रकाश चन्द चतुर्वेदी, राजेश कुमार सैनी, प्रकाश चन्द सैनी, जयराम गौड़, कजोडमल सहित दर्जनों लोगों का आरोप है कि परिषद् ने उन्हें बिना नोटिस दिये ही महज सफाई कर्मियों से सूचित करवा कर उनकी दुकानें व मकान जमीरोंध कर दिये।

कालाडेरा अस्पताल प्रशासन एंबुलैंस से ढोह रहा सामान

चौंमू/कालाडेरा, (निसं)। कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चौंमू विधायक रामलाल शर्मा ने ग्रामीणों की मांग पर 20 लाख रुपए की लागत की एक बेस एंबुलेंस दी थी। जिससे आस -पास में दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनका बेहतर इलाज कर सकें।

लेकिन अस्पताल प्रशासन एंबुलेंस से अस्पताल में काम में आने वाला सामान लाने का काम करवा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को बेस एंबुलेंस से ब्लॉक गोविन्दगढ़ से सामान लाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी एंबुलेंस का संचालन करने को लेकर अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली विवादों में रही है। एंबुलेंस का संचालन मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा किया जा रहा है। अस्पताल प्रभारी केसी चोपड़ा ने बताया कि एंबुलेंस से सबसे पहले मरीजों को लाने का काम किया जाता है एवं विशेष परिस्थिति में राजकीय कार्य के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उपयोग किया जाता है। बेस एंबुलेंस से सामान लाने की जांच की जाएगी। वहीं चौंमू विधायक रामलाल शर्मा ने बेस एंबुलेंस से सामान लाने को लेकर बताया कि कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जिस उद्देश्य से एंबुलेंस दी है उस उद्देश्य से एंबुलेंस का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर सीएमएचओ से बात कर अवगत करवाने की बात कही है।

एंबुलेंस से सामान लाते अस्पतालकर्मी।

अनेक ऐतिहासिक दास्तानें आंचल में छिपाए है बाड़मेर का किलोण गढ़

पन्नालाल मेघवाल

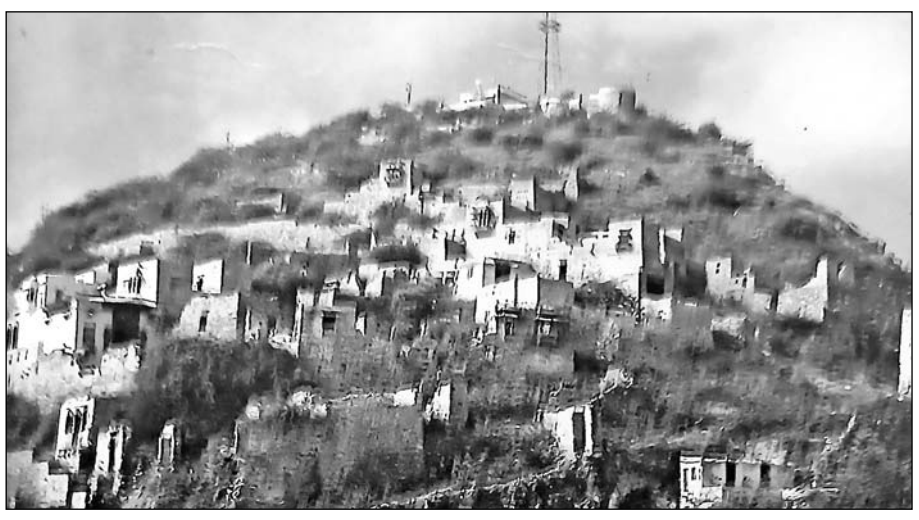

बाड़मेर का किलोण गढ़।

बाड़मेर के प्राचीन किलोण गढ़ का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ राजपूत राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र मालाणी क्षेत्र के संस्थापक राव मल्लीनाथ की चौथी पीढ़ी में जतोजी के पुत्र रतोजी के बेटे राव भीमोजी ने विक्रम संवत 1609 में बाड़मेर नगर की स्थापना के साथ करवाया था। राव भीमोजी ने बाड़मेर नगर की सबसे ऊंची 422 मीटर सुरेज भाखरी पर अपना गढ़ नहीं बनाकर कुछ पहाड़ियों के बीच आई 206 मीटर ऊंची भाखरी को सुरक्षित समझकर गढ़ बना दिया।

बाड़मेर के किलोण गढ़ को पूर्वाभिमुख बनाया गया। गढ़ प्रवेश के लिए उत्तर की तरफ बनाई हुई बुर्ज के बीच गढ़ पोल का निर्माण करवाया और पूर्व की तरफ कुछ और सुरक्षा की दृष्टि से बुर्ज ली गई। इस पहाड़ी के उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम की तरफ चढ़ाई चढ़कर गढ़ में आना कठिन होने के कारण साधारण प्राचीर से काम चला लिया।

बाड़मेर गढ़ के नीचे पूर्व की पहाड़ी ढलान पर अपने राजप्रासाद के साथ अन्य आवासीय मकानों का भी निर्माण करवाया गया। ये निर्माण पहाड़ी के उत्तर से पूर्व-पश्चिम तक के ढलान पर बनाए गए ताकि दुश्मन के आक्रमण का आसानी से पता लग सके और समय आने पर अपने निवास स्थानों पर बनाए मोर्चों से आसानी से लड़ा जा सके राव भीमोजी के बाद अनेकों बाड़मेर शासकों ने समय-समय पर गढ़ पर निर्माण कार्य करवाए।

रावत भारोजी ने अपने पांचों पुत्रों के लिए अलग-अलग महल-कोटडियां बनवाई जो आज भी भारोणियां की पांच कोटडियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद रावत लालसिंह के पोते पदमसिंह ने अपनी सुहागरात मनाने के लिए अपने चाचा सायबाजी का बीकमपुर के ठाकुर को मारकर बदला लेने पर महल बनाया जो पदमसिंह महल के नाम से विख्यात है। प्रतापसिंह का ऊंचाई वाला मोर्चा आज भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में अपने प्राचीन वैभव का परिचय दे रहा है। किलोण गढ़ पर बने प्राचीन महल, मालियों, कोटडियों के मोर्चे आदि इमारतों में केवल रावत लालसिंह की कोटडी जिसमें रावत उम्मेदसिंह पर निवास करते हैं सही सलामत है। इस गढ़ पर प्राचीन जगदंबा माताजी मंदिर के स्थान पर नवनिर्मित मंदिर का निर्माण करवाया गया है जहां पहुंचने के लिए 471 पक्की सीढ़ियों को पार कर पहुंचा जा सकता है। आसोज और नवरात्रि के अलावा यहां भादवा सुदी तेरस-चौदस को भी मेले आयोजित होते हैं। किलोण गढ़ पर अधिकतर जोधपुर और जैसलमेर राजघरानों की तरफ से छुटपुट हमले होते रहे लेकिन राव भीमोजी के बाद इनके ही परिवार में बाड़मेर राजगद्दी प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मारकर गद्दी हथियाई जाती रही। गढ़ पर जोगमाया एवं नागनेचिया माताजी के मंदिर हैं। नागनेचिया माताजी मंदिर में प्राचीरों में जड़े शिलालेख का पुरातात्विक दृष्टि से बड़ा महत्व है। जगदंबा माताजी का मंदिर होने के कारण इसे गढ़ माताजी मंदिर भी कहते हैं।

राठौड़ राजपूत इसे किले का स्वरूप मानते हुए इसे बाड़मेर गढ़ किलोण और संक्षिप्त में किलोण भी कहते हैं। आन-बान-शान का प्रतीक यह गढ़ ऐतिहासिक कथा-कहानियों की अनेक दास्तानें अपने आंचल में छिपाए हुए है।

पन्नालाल मेघवाल,
वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार।

राशिफल शुक्रवार 26 अगस्त, 2022

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, आश्लेषा नक्षत्र सांय 6:33 तक, परिद्य योग रात्रि 2:10 तक, शकुनि करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा सांय 6:33 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-कर्क, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज जीवंतिका पूजन, पिठोरी अमावस्या, जैन वृषभोत्सव है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:42 तक, लाभ-अमृत 7:42 से 10:53 तक, शुभ 12:29 से 2:04 तक, चर 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 6:50

मेष

घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु

अपनी योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

वृष

परिवार में शुभ और मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे।

कर्क

मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

वृश्चिक

नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मीन

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।